

भोपाल विद्याराज प्राथितकरण

भोपाल, दिनांक 10/07/2015

प्राधिकरण की नवीनीया “अटल आशय योजना लांबार्त्तगत”



**अफोडेंडल हाउसिंग योजना में
1 BHK (EWS) एवं 2 BHK (LIG) प्रकोष्ठ उपलब्ध
ऑनलाइन पंजीयन सुविधा के लिए भोपाल विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.bda.org.in पर¹
लागआून करें एवं विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें - मो. 9827116746**

विवरण—

योजना का नाम	प्रकोष्ठों/ इकाइयों का विवरण तथा संख्या	क्षेत्रफल मालिकी में विलेटअप परिया	आरक्षण का वर्णन तथा अवधिकार किये गये प्रकारों/इकाइयों की संख्या						प्राधिकरण द्वारा नियत किया गया क्रमांक प्रकोष्ठ (अनुमानित)	रजिस्ट्रेशन प्राप्ति (पंजीयन राशि) लाभ							
			अनारक्षित मालिकी जाति	अनारक्षित मालिकी जाति	अ.ज. जा.	फिल्ड रा.	सेनिक महिला	भूद्विजिती/ शक्तिशाली, प्राधिकरण एवं लोकोक्त	प्राधिकरण क्रमांक क्रमांकी								
ग्राम नवीनीया अटल आशय योजनात्तर्गत अफोडेंडल	2 बी.एच.के. एल.आई.जी. योजनात्तर्गत अफोडेंडल	550.37 330 प्रकोष्ठ	156 वार्गफुट	01 प्रकोष्ठ	35 वार्गफुट	62 वार्गफुट	01 वार्गफुट	12 वार्गफुट	- वार्गफुट	17 वार्गफुट	08 वार्गफुट	13 वार्गफुट	- वार्गफुट	08 वार्गफुट	12,38,000/- प्रकोष्ठ	1,23,800/- प्रकोष्ठ	30/- प्रकोष्ठ
ग्राम नवीनीया अटल आशय योजनात्तर्गत अफोडेंडल	1 बी.एच.के. ई.डब्ल्यू.एस. योजनात्तर्गत अफोडेंडल	350.45 27 प्रकोष्ठ	03 वार्गफुट	- वार्गफुट	- वार्गफुट	- वार्गफुट	- वार्गफुट	- वार्गफुट	- वार्गफुट	- वार्गफुट	04 वार्गफुट	02 वार्गफुट	- वार्गफुट	02 वार्गफुट	5,50,000/- प्रकोष्ठ	55,000/- प्रकोष्ठ	20/- प्रकोष्ठ

नोट- 1. प्रकोष्ठों के आवेदन पत्र के साथ नियम शर्तें संतुष्ट रहें। 2. 1 बी.एच.के. हेतु रु. 1.00 लाख तक तथा 2 बी.एच.के. हेतु 1,00,001 से 2,00 लाख तक वार्षिक आय का निचित प्राप्ति में वृद्धि का घोषणा पत्र, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। 3. आरक्षित श्रेणी हेतु म.प. शासन के सशक्त प्राधिकरणों का प्राप्त आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। 4. उपरोक्त प्रकार की श्रेणी राशि जमा करने की सम्भावना अनिवार्य है। 5. निचित प्रकोष्ठों की संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लांतरी पद्धति से आवंटन किया जायेगा। निचिती सुखना समाचार पत्र के माध्यम से पंजीयन राशि वापसी की कार्यवाही लान्सो के एक माह प्रावृत्त की जावेगी। 6. पंजीयन राशि का एक झापट भाष्याल विकास प्राधिकरण के नाम देय होगा। 7. शासन तथा प्राधिकरण द्वारा समय समय पर नियम वृक्ष शहर पंजीयनकर्ताओं आवंटियां की मान्य करना अनिवार्य होगा। 8. अधिक जानकारी के लिये हमारी वेबसाइट www.bda.org.in पर लॉगआून करें।

घरम	फार्म	पार्म
घरम लाठरी पद्धति से	1 बी.एच.के. रु.200/- का मुद्द्य आफ लाइन 2 बी.एच.के. रु.400/- आन लाइन	1 बी.एच.के. रु.100/- का मुद्द्य आन लाइन 2 बी.एच.के. रु.200/- आन लाइन
		जमा 28.07.15 तक

**विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल**